रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022026-270169
CG-DL-E-16022026-270169

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125]	नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 2026/माघ 24, 1947
No. 125]	NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 2026/MAGHA 24, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 131(अ).— अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) नियम, 2023 का संशोधन करने के लिए प्रारुप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 630 (अ) तारीख 12 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिनमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की अधिसूचना की प्रतियां 15 सितंबर, 2025 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारुप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रुप से विचार कर लिया गया है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 88 की उपधारा (9) के साथ पठित उपधारा (14) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) नियम, 2023 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – इन नियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) संशोधन नियम, 2026 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त होंगे ।

2. अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) नियम, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के उपनियम (1) में, -

(क) खंड (ख) में, "नियम 5" शब्द और अंक के स्थान पर, "नियम 3" शब्द और अंक रखा जाएगा;

(ख) हिंदी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है;

(ग) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(छ) "असंदत्त उपयोक्ता फीस" से राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड के उपयोग के लिए मोटर यान द्वारा देय उपयोक्ता फीस अभिप्रेत है, जहां इलैक्ट्रानिक टोल संग्रहण अवसंरचना ने ऐसे यान का गुजरना अभिलिखित किया है, किंतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उद्गृहीत लागू उपयोक्ता फीस प्राप्त नहीं की गई है ।'।

3. उक्त नियमों के नियम 3 के उपनियम (2) में, "परिवहन प्राधिकारी" शब्दों के पहले "उस राज्य का" और "अभिप्रेत है," शब्दों के पश्चात् "जहां वह पर्यटक यान, जिससे आवेदन संबंधित है, रजिस्ट्रीकृत है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

4. उक्त नियमों के नियम 4 में, -

(क) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) नियम 3 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर परिवहन प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए इलैक्ट्रानिक रुप से दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा कि –

(i.) यान के आवश्यक विधिमान्य दस्तावेज जैसे बीमा प्रमाणपत्र, योग्यता प्रमाणपत्र, प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाणपत्र है और उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में जहां यान रजिस्ट्रीकृत है द्वारा विहित कर संदत्त कर दिया गया है और कोई उपयोक्ता फीस असंदत्त् नहीं है; और

(ii.) यथास्थिति,पर्यटक यान प्रचालक या उसके निदेशक या भागीदार के पास आवश्यक विधिमान्य दस्तावेज जैसे आधार, या निगमित पहचान संख्यांक या माल और सेवा कर रजिस्ट्रीकरण पहचान संख्यांक हैं, जिससे यह सत्यापित किया जा सके कि ऐसे पर्यटक यान प्रचालक का निवास या कारबार का स्थान उस राज्य में है जहां पर्यटक यान रजिस्ट्रीकृत है ।"।

(ख) उपनियम (5) में, "बारह" शब्द के स्थान पर, "पंद्रह" शब्द रखा जाएगा ।

5. उक्त नियमों के नियम 4 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात, -

"4क. अखिल भारतीय पर्यटक परमिट से संलग्न साधारण शर्तें :-अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के लिए पर्यटक यान हेतु निम्नलिखित शर्तें होंगी कि पर्यटक यान:

(क) . गृह राज्य में या तो अपनी यात्रा आरंभ करेगा या अपनी यात्रा चक्कर लगाते हुए या अन्यथा समाप्त करेगा, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए कि यान गृह राज्य के बाहर साठ दिन से अधिक की अवधि के लिए नहीं रहेगा और राज्य सरकार द्वारा कमांड और नियंत्रण केंद्रों या राज्य द्वारा स्थापित ऐसे अन्य केंद्रों या यान की अवस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति विनिर्माताओं या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अभिकरण के माध्यम से मॉनीटरी की जाएगी;

(ख) .स्टेज कैरिज के रूप में प्रचालित नहीं किया जाएगा;

(ग) . नियम 10 के अधीन तैयार की गई पर्यटकों की सूची में सम्मिलित नहीं किए गए यात्रियों को ना तो सवार करेगा ना ही ठहराएगा ;

(घ) .केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 125 ज के उपनियम (1) में निर्दिष्ट यान की अवस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति और आपात बटन से सज्जित किया जाएगा; और

(ङ) . केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 167 के उपनियम 5 में यथाविनिर्दिष्ट पैंतालीस दिन की समयावधि के परे अधिनियम के अधीन अपराधों और उल्लंघनों से संबंधित कोई चालान, चालान जारी होने की तारीख से नहीं होना चाहिए, सिवाय उस दशा में जिसमें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकरण के समक्ष पोर्टल पर शिकायतों के लिए प्रतिवाद किया गया हो ।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजनों के लिए "गृह राज्य" से वह राज्य अभिप्रेत है जिसने अखिल भारतीय पर्यटक परमिट अनुदत्त किया है ।"।

6. उक्त नियमों के नियम 10 में, -

(क) पार्श्व शीर्षक में "पर्यटकों" शब्द के पश्चात् "और मार्ग की विशिष्टियां" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपनियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" (1क) अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के अधीन पर्यटक यान चलाने वाला पर्यटक यान प्रचालक ऐसे पर्यटक यान के प्रस्तावित मार्ग पर स्थित मूल स्थान, गंतव्य स्थान और राज्यों की विशिष्टियां, इलैक्ट्रानिक या भौतिक प्ररूप में सभी समय पर अपने पास रखेगा । यात्रा आरंभ होने से पहले किसी समय गंतव्य स्थान और मार्ग में उपांतरित किया जा सकता है ।"।

7. उक्त नियमों के प्ररूप 1 की सारणी में, -

(i)"आवेदक का नाम" पंक्ति के पश्चात, निम्नलिखित पंक्ति अंत:स्थापित की जाएगी अर्थात, -

"आवेदक का पता : (आधार यदि आवेदक व्यष्टि है या निगमित पहचान संख्यांक यदि आवेदक कंपनी है या किसी अन्य दशा में माल और सेवा कर रजिस्ट्रीकरण पहचान संख्यांक)।"।	

(ii) स्तंभ (6) में, "बैठने की क्षमता" शब्दों के स्थान पर "बैठने या शयन की क्षमता, या इनका संयोजन" शब्द रखे जाएंगे ।

8. उक्त नियमों के प्ररुप 2 के क्रम संख्यांक 3 में, सारणी और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"क्र. सं.	यान का मेक	रजिस्ट्रीकरण सं.	योग्यता प्रमाणपत्र की तारीख और विधिमान्यता	बीमा की तारीख और विधिमान्यता	अब तक संदत्त सड़क कर	पहले रजिस्ट्रीकरण की तारीख	बैठने या शयन की क्षमता या इनका संयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)" ।

[फा. सं. आर टी – 16017/2/2018-टी]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसचूना संख्यांक सा.का.नि. 302(अ), तारीख 18 अप्रैल, 2023 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2026

G.S.R. 131(E).—Whereas, the draft rules to amend the All India Tourist Vehicles (Permit) Rules, 2023 were published as, required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, *vide* number G.S.R. 630 (E), dated the 12th September, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India containing the said notification was made available to the public;

And, whereas, copy of the said Gazette notification was made available to the public on 15th September, 2025;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (14) read with sub-section (9) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules to amend the All India Tourist Vehicles (Permit) Rules, 2023, namely:-

1. **Short title and commencement** —These rules may be called as the All India Tourist Vehicles (Permit) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force with effect from 1st day of April, 2026.

2. In the All India Tourist Vehicles (Permit) Rules, 2023 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1),—

(a) in clause (b), for the word and figure "rule 5", the word and figure "rule 3" shall be substituted;

(b) in clause (f), for the words "the Act.", the words "the Act;" shall be substituted;

(c) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-

'(g) "unpaid user fee" means the user fee payable by a motor vehicle for use of a section of a National Highway, where the Electronic Toll Collection Infrastructure has recorded the passage of such vehicle but has not received the applicable user fee levied under the provisions of section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and rules made thereunder.'.

3. In the said rules, in rule 3, in sub-rule (2), after the words "Transport Authority", the words "of the State where the tourist vehicle to which the application relates is registered" shall be inserted.

4. In the said rules, in rule 4,—

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) On receipt of an application under rule 3, the Transport Authority may inspect the documents electronically to ensure that—

(i.) the vehicle has necessary valid documents such as certificate of insurance, certificate of fitness, Pollution Under Control Certificate and has paid the tax prescribed by the State or Union territory where the vehicle is registered and there is no unpaid user fee; and

(ii.) the tourist vehicle operator or its director or a partner, as the case may be, has necessary valid documents such as Aadhaar or Corporate Identification Number or Goods and Service Tax Registration Identification number, to verify that such tourist vehicle operator has the residence or place of business in the State where the tourist vehicle is registered.".

(b) in sub-rule (5), for the word "twelve", the word "fifteen" shall be substituted.

5. In the said rules, after rule 4, the following rule shall be inserted, namely,—

"4A. General conditions attached to All India Tourist Permits.— The following shall be the conditions for the tourist vehicle for All India Tourist Permit, that the tourist vehicle shall:

(a). either commence its journey, or end its journey, circular or otherwise, in the home State, subject to the condition that the vehicle shall not remain outside the home State for a period of more than sixty days to be monitored by the State Government through the Command and Control Centres or such other centre setup by the State or vehicle location tracking device manufacturers or any other agency authorised by the State Government;

(b). not be operated as a stage carriage;

(c). not pick up or set down passengers not included in the list of tourists prepared under rule 10;

(d). be fitted with a vehicle location tracking device and emergency button referred to in sub-rule (1) of rule 125H of the Central Motor Vehicles Rules, 1989; and

(e). not have any challans related to offences and contraventions under the Act due beyond the time period of forty five days as specified in sub-rule (5) of rule 167 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 from the date of issuance of the challan, except in cases contested for redressal on the portal before the authority specified by the State Government.

Explanation.— For the purposes of this rule, "home State" means the State which has granted the All India Tourist Permit.".

6. In the said rules, in rule 10,—

(a) in the marginal heading, after the word "tourists", the words "and particulars of the route" shall be inserted;

(b) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(1A) A tourist vehicle operator plying a tourist vehicle under the All India Tourist Permit, shall at all times carry in electronic or physical form, the particulars of the point of origin, the destination and the States lying on the proposed route of such tourist vehicle. The destination and the route may be modified at any stage, before commencement of journey.".

7. In the said rules, in Form 1, in the table,—

(i) after the row "Name of the applicant", the following row shall be inserted, namely,—

"Address of the applicant: (Aadhaar in case the applicant is an individual or Corporate Identification Number in case the applicant is a company or Goods and Service Tax Registration Identification Number in any other case).".	

"

(ii) in column (6) for the words "Seating capacity", the words "Seating or sleeper capacity, or combination thereof" shall be substituted.

8. In the said rules, in Form 2, in serial no. 3 for the table and entries thereto, the following table and entries shall be substituted, namely:-

"Sr. No.	Make of the Vehicle	Registration No.	Date and validity of Fitness Certificate	Date and validity of Insurance	Road Tax paid up to	Date of First Registration	Seating or sleeper capacity, or combination thereof
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)".

[F No. RT-16017/2/2018-T]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 302 (E), dated the 18th April, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.02.16 15:36:48 +05'30'